



डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ

Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University, Lucknow

मोहान रोड, लखनऊ-226 017 दूरभाष नं०-8004930056/0522-2999862/2998380/1/2/3294434 वेबसाइट: <http://dsmru.up.nic.in>

प्रेषक

कुलसचिव,
डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय,
लखनऊ।

सेवा में,

- (1). निदेशक,
दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- (2). समस्त विभागाध्यक्षगण,
डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास
विश्वविद्यालय, लखनऊ।
- (3). विभागाध्यक्षों से भिन्न समस्त आचार्य,
डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास
विश्वविद्यालय, लखनऊ।
- (4). डॉ० संजीव गुप्ता,
एसोसिएट प्रोफेसर, वाणिज्य विभाग,
डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास
विश्वविद्यालय, लखनऊ।
- (5). श्री आशीष गुप्ता,
असिस्टेंट प्रोफेसर, दृष्टिबाधितार्थ विभाग,
डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास
विश्वविद्यालय, लखनऊ।

पत्रांक 283/पत्रा.सं०-568/डी.एस.एम.एन.आर.यू./वि०परि०/ 2020-21 दिनांक: 15 जून, 2020

विषय:- डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ की मा० विद्या-परिषद की चौदहवीं बैठक दिनांक 23 मई, 2020 की कार्यवृत्त प्रेषण के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ की मा० विद्या-परिषद की चौदहवीं बैठक दिनांक 23.05.2020 (शनिवार) में लिये गये निर्णयों की कार्यवृत्त की छायाप्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किये जाने का मुझे निदेश हुआ है।

भवदीय

(अमित कुमार सिंह)
कुलसचिव

डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ

के मा० विद्या परिषद की

14वीं बैठक दिनांक: 23 मई, 2020 का कार्यवृत्त

समय—	पूर्वाह्न 11:00 बजे
स्थान—	पंचम तल स्थित सभागार, डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ

उपरोक्त कार्यक्रमानुसार विश्वविद्यालय की मा० विद्या परिषद की 14वीं बैठक विश्वविद्यालय के पंचम तल स्थित सभागार में सम्पन्न हुई। बैठक में सदस्यों की उपस्थिति संलग्नक के अनुसार रही। बैठक में विभिन्न एजेण्डा बिन्दुओं पर विस्तृत विचार-विमर्श के उपरान्त निम्नानुसार निर्णय लिये गये:—

बिन्दु संख्या	कार्यवाही
1/14	मा० विद्या परिषद की तेरहवीं बैठक हेतु निर्गत कार्यवृत्त की पुष्टि के सम्बन्ध में।
	निर्णय:—विश्वविद्यालय की मा० विद्या परिषद की तेरहवीं बैठक दिनांक: 24 दिसम्बर, 2019 के निर्गत कार्यवृत्त पत्रांक: 2111/पत्रा.सं०-568/डीएसएमएनआरयू/वि.परि./2019-20, दिनांक: 27 दिसम्बर, 2019 द्वारा मा० विद्या परिषद के सदस्यों को प्रेषित किया जा चुका है। इस पर किसी सदस्य से कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।
2/14	मा० विद्या परिषद की तेरहवीं बैठक दिनांक 24 दिसम्बर, 2019 में लिये गये निर्णयों के अनुपालन के सम्बन्ध में।
	निर्णय:— मा० विद्या परिषद की तेरहवीं बैठक दिनांक: 24 दिसम्बर, 2019 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या से अवगत हुई।
3/14	विशेष शिक्षा संकाय के बहुविकलांगता एवं पुनर्वासन विभाग के अन्तर्गत बी०पी०ओ० एवं बी०ए०एस०एल०पी० पाठ्यक्रम हेतु अध्ययन मण्डल की बैठक दिनांक 31.01.2020 के कार्यवृत्त पर अनुमोदन के सम्बन्ध में।
	निर्णय:— मा० विद्या परिषद द्वारा विश्वविद्यालय में विशेष शिक्षा संकाय के बहुविकलांगता एवं पुनर्वासन विभाग में संचालित बी०पी०ओ० एवं बी०ए०एस०एल०पी० पाठ्यक्रम की विभागीय अध्ययन मण्डल की दिनांक 31.01.2020 को आहूत बैठकों में उक्त पाठ्यक्रमों के सेलेबस इन्टर्नशिप, इन्टर्नशिप हेतु वाह्य केन्द्रों की सूची, आन्तरिक एवं वाह्य परीक्षकों की सूची एवं पाठ्यक्रम से सम्बन्धित विभिन्न प्रारूपों पर सम्यक विचारोपरान्त अनुमोदन प्रदान किया गया।
4/14	विश्वविद्यालय में शैक्षिक सत्र 2020-21 के अन्तर्गत प्रवेश प्रक्रिया के सम्बन्ध में।
	निर्णय:— मा० विद्या परिषद को अवगत कराया गया कि वर्तमान में वैश्विक महामारी (कोविड-19) के दृष्टिगत विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2020-21 में व्यावसायिक एवं गैर-व्यावसायिक पाठ्यक्रमों (पी-एच०डी० पाठ्यक्रम को छोड़कर) में आवेदन के माध्यम से कार्यवाही सम्पादित कर समस्त पाठ्यक्रमों में एकेडमिक मेरिट के आधार पर प्रवेश लिया जाना प्रस्तावित हैं। इस सम्बन्ध में विशेष शिक्षा संकाय के अन्तर्गत डी०एड० (श्रवण बाधितार्थ, दृष्टि बाधितार्थ, एवं बौद्धिक अक्षमता) पाठ्यक्रम में भारतीय पुनर्वास परिषद, नई दिल्ली द्वारा A.I.O.A.T के माध्यम से प्रवेश परीक्षा द्वारा प्रवेश न लेकर विश्वविद्यालय स्तर से मेरिट के आधार पर प्रवेश लिये जाने हेतु भारतीय पुनर्वास परिषद, नई दिल्ली को विश्वविद्यालय स्तर से पत्राचार किया गया है।

(Dr. A. K. Singh)
Deputy Registrar
Dr. Shakuntala Misra
National Rehabilitation University,
Lucknow

(अमित कुमार सिंह)
कुलसचिव
डॉ० शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ

(प्रो० एम.के.पी. सिंह)
कुलपति
डॉ० शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ

साथ ही विश्वविद्यालय में अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी कार्यक्रम के अन्तर्गत बी0टेक0 पाठ्यक्रम के अन्तर्गत प्रवेश हेतु मा0 विद्या परिषद की 11वीं बैठक दिनांक 13.08.2019 में बिन्दु संख्या-8/11 में निर्णीत "उत्तर प्रदेश राज्य अभियांत्रिकी प्रवेश परीक्षा (UPSEE) तथा संयुक्त प्रवेश परीक्षा (JEE) में प्रवेश हेतु निर्धारित कट-ऑफ मेरिट की सीमा में आने वाले विद्यार्थियों का प्रवेश प्राप्त कर लिया जाय, लेकिन उक्त प्रक्रिया को व्यापक प्रचार-प्रसार के साथ पारदर्शी एवं नियमानुसार सम्पन्न किया जाय।" के माध्यम से प्रवेश लिये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया है, जिसे मा0 कार्य परिषद की 25वीं बैठक दिनांक 13.08.2019 के बिन्दु संख्या-12/25 पर अनुमोदन प्रदान किया गया है।

मा0 विद्या परिषद द्वारा प्रवेश प्रक्रिया के सम्बन्ध में उल्लिखित समस्त तथ्यों तथा कोविड-19 के कारण उत्पन्न विषम परिस्थितियों के दृष्टिगत सम्यक्विचारोन्त निम्नानुसार निर्णय प्रदान किया गया -

(क). शैक्षणिक सत्र 2020-21 में व्यावसायिक एवं गैर-व्यावसायिक पाठ्यक्रमों (पी-एच0डी0 पाठ्यक्रम को छोड़कर) में ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करते हुए समस्त पाठ्यक्रमों में एकेडमिक मेरिट के आधार पर प्रवेश की कार्यवाही सम्पादित की जाये।

(ख). विश्वविद्यालय एवं सम्बद्ध संस्थाओं/महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम तिथि दिनांक 20 जुलाई, 2020 एवं विलम्ब शुल्क के साथ दिनांक 27 जुलाई, 2020 तक निर्धारित किया गया।

(ग). ऑनलाइन प्राप्त आवेदन-पत्रों पर मेरिट के आधार पर विश्वविद्यालय स्तर पर प्रवेश की कार्यवाही 15 अगस्त, 2020 तक तथा सम्बद्ध महाविद्यालय/संस्थाओं में दिनांक 22 अगस्त, 2020 तक पूर्ण की जायेगी। सम्बद्ध महाविद्यालयों/संस्थाओं द्वारा प्रत्येक दशा में दिनांक 31 अगस्त, 2020 तक नव-प्रवेशित विद्यार्थियों से सम्बन्धित समस्त सूचनाएं एवं प्रपत्रों को विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराया जाये, परन्तु विशेष परिस्थितियों में कुलपति, विश्वविद्यालय को प्रवेश सम्बन्धी तिथियों में शिथिलता प्रदान किये जाने हेतु अधिकृत किया गया।

(घ). शैक्षणिक सत्र 2020-21 में व्यावसायिक एवं गैर-व्यावसायिक पाठ्यक्रमों (पी-एच0डी0 पाठ्यक्रम को छोड़कर) में प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय द्वारा विकसित पोर्टल के माध्यम से प्रवेश हेतु प्राप्त आवेदन-पत्रों के आधार पर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध संस्थाओं/महाविद्यालयों में विकेन्द्रीकृत व्यवस्था के अन्तर्गत प्रवेश प्रक्रिया सम्पादित की जायेगी। उक्त हेतु सम्बद्ध महाविद्यालयों/संस्थाओं को ससमय सूचित किया जाना आवश्यक होगा।

(ङ). विश्वविद्यालय में अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी कार्यक्रम के अन्तर्गत बी0टेक0 पाठ्यक्रम के अन्तर्गत प्रवेश हेतु मा0 विद्या परिषद की 11वीं बैठक दिनांक 13.08.2019 में बिन्दु संख्या-8/11 में निर्णीत "उत्तर प्रदेश राज्य अभियांत्रिकी प्रवेश परीक्षा (UPSEE) तथा संयुक्त प्रवेश परीक्षा (JEE) में प्रवेश हेतु निर्धारित कट-ऑफ मेरिट की सीमा में आने वाले विद्यार्थियों का प्रवेश प्राप्त कर लिया जाय, लेकिन उक्त प्रक्रिया को व्यापक प्रचार-प्रसार के साथ पारदर्शी एवं नियमानुसार सम्पन्न किया जाय।" के माध्यम से प्रवेश लिये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया है, जिसे मा0 कार्य परिषद की 25वीं बैठक दिनांक 13.08.2019 के बिन्दु संख्या-12/25 पर अनुमोदन प्रदान किया गया है।

उक्त निर्णय के यथावत लागू रहने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

5/14 विश्वविद्यालय एवं उससे सम्बद्ध संस्थाओं/महाविद्यालयों में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में आगामी शैक्षिक सत्र 2020-21 से लागू किये जाने वाले शुल्क के सम्बन्ध में।

निर्णय:-मा0 विद्या परिषद को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय स्तर पर संचालित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत् दिव्यांग विद्यार्थियों से शिक्षण शुल्क लिया जा रहा है, जो कि वर्तमान परिस्थितियों में औचित्यपूर्ण नहीं है। दिव्यांग विद्यार्थियों को समाज की मुख्य धारा से जुड़ने में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की विशेष भूमिका होती है, जिनसे रोजगार की उत्पत्ति भी होती है। उक्त को दृष्टिगत रखते हुए मा0 विद्या परिषद द्वारा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत् दिव्यांग विद्यार्थियों से लिया जाने वाला शिक्षण शुल्क शून्य किये जाने का निर्णय लिया गया।

	इसके साथ ही विश्वविद्यालय स्तर पर गठित शुल्क निर्धारण समिति की संस्तुतियों/अनुशंसाओं पर मा0 विद्या परिषद के सदस्यों द्वारा व्यापक विचार-विमर्श किया गया तथा मा0 विद्या परिषद द्वारा उक्त प्रस्ताव को आगामी वित्त समिति की बैठक में प्रस्तुत किए जाने के निर्देश प्रदान किये गये।
6/14	विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति की षष्ठम् बैठक दिनांक 12 मार्च, 2020 एवं सप्तम बैठक दिनांक 13 मई, 2020 में लिए गये निर्णय के सम्बन्ध में। निर्णय:-मा0 विद्या परिषद के सदस्यों को विश्वविद्यालय की गठित परीक्षा समिति की षष्ठम बैठक दिनांक 12 मार्च, 2020 से सम्बन्धित प्रस्तावों/संस्तुतियों पर अनुमोदन प्रदान किया गया तथा सप्तम बैठक दिनांक 13 मई, 2020 के कार्यवृत्त में बिन्दु संख्या- 4/7 में विद्यार्थियों के मिड एसाइनमेन्ट प्रेजेन्टेशन/मिड सेमेस्टर टेस्ट के सम्बन्ध में की गई संस्तुतियों को स्पष्ट किए जाने के निर्देश के साथ अनुमोदन प्रदान किया गया।
7/14	विश्वविद्यालय की परीक्षा नियमावली, 2020 के सम्बन्ध में। निर्णय:-मा0 विद्या परिषद को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय एवं सम्बद्ध संस्थाओं/महाविद्यालयों में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु परीक्षाओं के सुगम संचालन हेतु विश्वविद्यालय के अधिष्ठाताओं की समिति द्वारा विद्यार्थियों/परीक्षार्थियों की सुविधा के दृष्टिगत पूर्व से ड्राफ्ट परीक्षा आर्डिनैश को संशोधित कर वर्तमान समय में लागू नियमों को समाहित करते हुए परीक्षा नियमावली, 2020 तैयार की गई है, जिसे परीक्षा समिति द्वारा अनुमोदित किया गया है। प्रस्तावित परीक्षा नियमावली, 2020 को सत्र 2020-21 से लागू किये जाने की योजना है। विश्वविद्यालय की परीक्षा नियमावली, 2020 पर बिन्दुवार चर्चा के उपरान्त मा0 विद्या परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान करते हुए निर्णय प्रदान किया गया कि उक्त परीक्षा नियमावली, 2020 में यदि किसी सदस्य को कोई आपत्ति प्रतीत होती है अथवा दिव्यांग विद्यार्थियों के सन्दर्भ में किसी प्रकार का महत्वपूर्ण सुझाव है, तो उसको इंगित करते हुए एक सप्ताह के अन्दर सक्षम स्तर पर प्रेषित किया जाय।
8/14	विश्वविद्यालय में ललित कला विभाग में शैक्षिक सत्र 2020-21 से परास्नातक स्तर पर ड्राइंग एण्ड पेंटिंग [एम0ए0 (ड्राइंग एण्ड पेंटिंग)] पाठ्यक्रम संचालित किये जाने के सम्बन्ध में। निर्णय:-मा0 विद्या परिषद को विश्वविद्यालय में ललित कला विभाग में शैक्षिक सत्र 2020-21 से परास्नातक स्तर पर ड्राइंग एण्ड पेंटिंग [एम0ए0 (ड्राइंग एण्ड पेंटिंग)] पाठ्यक्रम संचालित किये जाने के सम्बन्ध में अवगत कराया गया, सम्यक् विचारोपरान्त मत् स्थिर किया गया कि चूंकि वैश्विक स्तर पर कोविड-19 के कारण उत्पन्न विषम व अनिश्चितता के दृष्टिगत अभी विश्वविद्यालय में ललित कला विभाग में शैक्षिक सत्र 2020-21 से नवीन पाठ्यक्रम का संचालन किया जाना उचित नहीं है। इसे पुनः सम्पूर्ण औचित्य के साथ नियमानुसार मा0 विद्या परिषद की आगामी बैठकों में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाये।
बैठक में अन्य बिन्दु न होने के कारण उपस्थित सदस्यगण को धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त हुई।	

(Dr. A. K. Singh)
Deputy Registrar
Dr. Shakuntala Misra
National Rehabilitation University,
Lucknow

(जामिल कुमार सिंह)
कुलसचिव
डॉ० शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ

(प्रो० आर.के.पी. सिंह)
कुलपति
डॉ० शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ